

532

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2005/84	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुई
18/6/2005	<p>श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य</p> <p>पञ्जाबली पोस्ट डूँडी वकील गर्भ व गर्भ के बच्चा-बच्चा विवाह (गर्भ) गर्भ) का बच्चा द्वारा अनुपस्थित। अतः उक्त बच्चा हाजिरी के अर्थ पक्षों से पारिशिष्ट किया जाता है पञ्जाबली पोस्ट डूँडी से कर 15 अर्थात् 15 दिवस देकर है।</p> <p>अतः हुक्म जारी</p> <p>7</p> <p>सदस्य राजस्थान न्यायिक प्रशासन अजमेर</p>	